कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैनिक सत्र 2020-21 हेतु विपत्रेण भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-11 में विपत्रेण इन इंजीन पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिनके द्वारा सत्र 2020-21 हेतु एक/दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से एक/दो वर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईएसीटीईए/द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एआईएसीटीईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2713	आन्तरिक इंजीनियरिंग ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज, लखनऊ।	इलेक्ट्रिकल इंजीन	60	120
			कम्प्यूटर इंजीन	60	60
			इलेक्ट्रिकल इंजीन इंडिस्ट्रियल कंट्रोल	60	30
			मैकेनिकल इंजीन आटोम	60	60
			पीए ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एण्ड केमल मैनेजमेन्ट	60	60
			पीए ऑफ डिप्लोमा इन एकाउंटेन्सी ईमेल कम्प्यूटरसाइंस एकाउंटेन्स एण्ड टेक्सटेशन	60	60
			पीएजीए डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	60	60
			डिप्लोमा इन पीए कम्प्यूटरसाइंस	60	60
			मैकेनिकल मैनेजमेन्ट एण्ड मैकेट्रियल इंजिनेट	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईएसीटीईए/पीएसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में

संस्था-संस्था पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईएसीटीईए/पीएसीआईए के आदायी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा कराये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विपत्रेण इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संस्था में समस्त छात्रावधिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई जोर दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संकेत आदेश दिया किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विपत्रेण इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीएसीआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की क्रियान्वितिक से संचालन से अथवा संस्था स्तर पर कोई प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सामान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विकास-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने से सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समय उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 आर0 सी0 सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1972-2141 सद् दिनांक 15-9-2020

प्रतिलिपि-उपाध्यक्ष/निदेशक, कम्प्यूटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, लखनऊ।

(डा0 आर0 सी0 सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविपपरिषद सम्बद्धता/2021/3837 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञाप

सचिव भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कॉमर्सी कंटाइनिंग ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश समाप्त वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 000 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2713-AMBALIKA INSTITUTE OF PORFESSIONAL STUDIES ,VILLAGE-TIKRA,MAROHVA ROAD, MOHANLALGANJ, LUCKNOW-226301

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पीएआईएसीएटीएई/पीएसीएआईए द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL CONTROL)	0	0
5	P.G.DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT	60	60
6	P.G. DIPLOMA IN ACCOUNTACY (WITH COMPUTERISED ACCOUNTS & TAXATION)	60	60
7	P.G DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पीएआईएसीएटीएई/पीएसीएआईए द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
8	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
9	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीएआईएसीएटीएई/पीएसीएआईए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कॉमर्सी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कॉमर्सी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही अनेक छात्रावास से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रावासों में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दो साल होगी।
- ✓ संस्था को (30%) प्राविधिक शिक्षा समितिका तथा उप समितिका, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को पीएआईएसीएटीएई/पीएसीएआईए से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमिनमों/आदिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30%, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30%, तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30% द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अवमान रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कंटाइनिंग प्रवेश होने के पूर्व पीएसीएआईए से

अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की तरह विभिन्न के सम्बन्ध में अपना संस्था स्तर पर सीधे आवेदन अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की विधिवत्त पूर्ति, भूमि, भवन, छात्रावास, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान/प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त शासनादेश उपलब्ध कराने के साथ निर्गत शासनों के सम्बन्ध में समस्त उपलब्धता व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में कार्यालय संचालित पाठ्यक्रम को सम्बद्ध जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करने तथा प्राविधिक, भूमि, भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपलब्ध संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के प्रमाणित निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य बाल-बालक पीएआईएसीएटीएई/पीएसीएआईए/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृष्ठांक- प्राविपपरिषद सम्बद्धता/2021/3838-4000 दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AMBALIKA INSTITUTE OF PORFESSIONAL STUDIES ,VILLAGE-TIKRA,MAROHVA ROAD, MOHANLALGANJ, LUCKNOW-226301

(सुनील कुमार सोनकर)
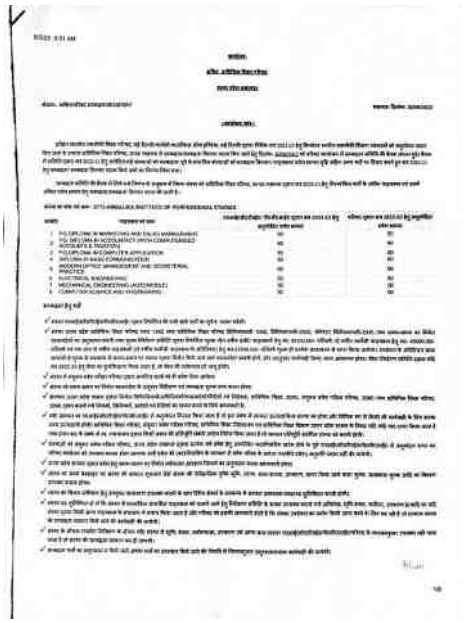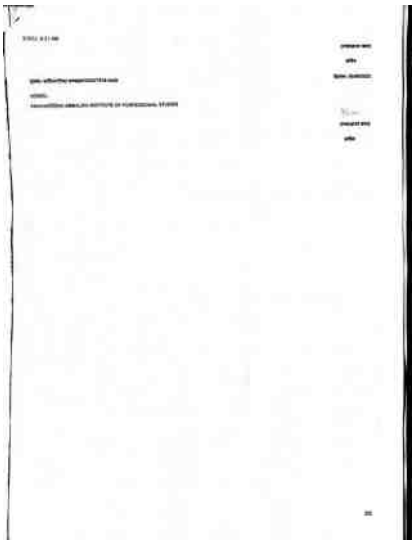
सचिव